सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 81/प्रेसनोट/2021 **14 फरवरी 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- गम्भीरपुर

पुलिस मुठभेड़ में लूट के माल के साथ 03 लुटेरे गिरफ्तार

वादी मुकदमा श्री दीपक शाहनी पुत्र अशोक साहनी निवासी मुबारकपुर (नुरपुरबुतात) आजमगढ़ तहरीरी सूचना कि दिनांक 12.02.2021 को समय करीब रात्रि के 9 बजे वाराणसी से आजमगढ़ अपने स्कूटी UP 50 AL 2765 से जा रहा था कि वाराणसी से आजमगढ़ हाईवे पर पटेल ढाबा बिन्द्रा बाजार के पास पल्सर मोटर साईकिल नं0 UP 50 AM 8894 पर सवार तीन व्यक्ति मेरी स्कूटी को ओवरटेक कर रोक लिए। मेरे साथ स्कूटी पर मेरा साथी जितेन्दर राजभर पुत्र सन्तलाल राजभर निवासी रज्जाकपुर थाना – पवई, जनपद– आजमगढ़ भी था। हम दोनो लोगो को पल्सर के तीनो सवार मारने पीटने लगे तथा उसमे से एक व्यक्ति हमारे कनपटी पर तमंचा सटा दिया तथा बोला कि जो पास मे लिए हो वह दे दो नही तो जान से मार देगें। हम लोगो के पास रखे हुए दो मोबाईल फोन – सैमसंग माडलA50-S व OPPO-37 तथा मेरी स्कूटी को छिनकर लेकर भाग गये तथा कहे कि किसी से बताओगे तो जान से मार देगें। हमारी स्कूटी व दोनो मोबाईल लेकर लालगंज की तरफ चले गए के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 13.02.2021 को मु0अ0सं0 28/2021 धारा 323,392,506 भादवि बनाम मोटरसाईकिल पल्सर नं0 UP 50 AM 8894 पर सवार तीन व्यक्ति नाम व पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक ज्ञानू प्रिया मय हमराह का 0 बैजनाथ सरोज, का0 मोनू कुमार, म0का0 स्वप्निल सक्सेना के व उ 0नि0 तारकेश्वर राय, उ0नि0 शंकर कुमार यादव चौकी प्रभारी गोसाई की बाजार मय का 0 संजीव कुमार यादव व ईगल मोबाइल के कर्मचारीगण का0 उदयभान गुप्ता व का0 सौरभ सरोज के रवानाशुदा रो 0आम विनावर देखभाल क्षेत्र व तलाश वाँछित अभियुक्त व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन के मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान से करीब कुछ दूरी से बताया कि मु0अ0सं0 28/2021 धारा 323,392,506 से सम्बन्धित वही तीनो अभियुक्तगण है जो हाईवे पर मोटरसाइकिल के पास खडे है बताकर मुखबीर हट बढ गया। पुलिस टीम अचानक पहले से खडे तीनो व्यक्तियो के पास पहुची कि इतने में खडे व्यक्तियो द्वारा कहा गया कि गोली मारो ये तो पुलिस वाले आ गये। इतने में पुलिस टीम को लक्ष्य करते हुए जान से मारने की नियत से एक व्यक्ति द्वारा फायर कर दिया तथा भागने का प्रयास किये कि पुलिस टीम द्वारा हिकमत अमली से सिखलायी तरीके से अपने को बचाते हुए तीनो अभियुक्तो को ललकारते हुए घेरकर पकड़ लिया। पकडे गये तीनो व्यक्तियो से तीनो का नाम पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम विक्की गोंड पुत्र सुबेदार गोंड निवासी हुसेनगंज थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ बताया जामा तलाशी लेने पर एक अदद तमन्चा .315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस तथा एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ तथा दूसरे ने अपना नाम मुनीब राजभर उर्फ मनीष पुत्र

सुरेन्द्र राजभर निवासी ग्राम खुटा बहोरवा थाना भीमपुरा जनपद बलिया बताया व तीसरे ने अपना नाम धनन्जय राजभर पुत्र केशव प्रसाद निवासी ग्राम हुसेनगंज थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ बताया तथा जिसकी जमा तलाशी ली गयी तो मोबाईल फोन – सैमसंग माडलA50-S व OPPO-37 बरामद हुआ। पकडे गये व्यक्तियो से कडाई से पूछताछ किया गया तो बताये कि जो हम लोगो के पास से दोनो मोबाइल आपको मिला है वह मोबाइल कल हम लोगो ने पटेल ढाबा के पास बिन्द्रा बाजार के सामने हाईवे से एक स्कूटी लाल रंग की तथा ये दोनो मोबाइल हम लोगो ने छीना था तथा बार बार अपने गलती की माफी माँग ने लगे तथा बताये कि साहब हम लोग गरीब आदमी है ऐसी छोटी– छोटी घटना कर इसी से अपना जीवन यापन करते है, लूटी हुई स्कूटी के बारे में पूछने पर बताये कि हम लोग स्कूटी को चिरकिहिट गाँव में पानी टंकी के नीचे खडी किये है जो विक्की गोंड उपरोक्त के हिस्से की है हम लोग चलकर दे सकते है। मौके पर ही अभियुक्तगणो द्वारा लूट में प्रयुक्त किये मोटरसाइकिल UP 50 AM 8894 पल्सर लाल रंग को कब्जा पुलिस में लिया गया। मोटरसाइकिल पल्सर के कागजात तलब करने पर दिखाने में कासिर रहे। तत्पश्चात अभियुक्तगणो को साथ लेकर चिरकिहिट पानी टंकी के पास गये तो पानी टंकी के नीचे लूटी गयी लाल रंग की स्कूटी खडी मिली जिसके नम्बर को देखा गया तो उस पर UP 50 AL 2765 लिखा हुआ था जो मु0अ0सं0 28/21 धारा 323,392,506 भादवि से सम्बन्धित थी बरामद हुई। थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 30/21 धारा 307/34 भादवि बनाम 1- विक्की गोंड पुत्र सुबेदार गोंड निवासी हुसेनगंज थाना सिधारी, आजमगढ़, 2- मुनीब राजभर उर्फ मनीष पुत्र सेरन्द्र राजभर निवासी ग्राम खूटा बहोरवा थाना भीमपुरा जनपद बलिया, 3. धनन्जय राजभर पुत्र केशव प्रसाद निवासी हुसेनगंज थाना सिधारी, आजमगढ़ व मु0अ0स0 31/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम 1- विक्की गोंड पुत्र सुबेदार गोंड निवासी हुसेनगंज थाना सिधारी, आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 28/21 धारा 323,392,506 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

2. मु0अ0स0 30/21 धारा 307/34 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

3. मु0अ0स0 31/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 70/20 धारा 147,148,149,188,269,323,332,337,353,427,504, 506 भादवि बनाम विक्की गोंड पुत्र सुबेदार गोंड निवासी हुसेनगंज थाना सिधारी, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त–

1- विक्की गोंड पुत्र सुबेदार गोंड निवासी हुसेनगंज थाना सिधारी, आजमगढ़,

2- मुनीब राजभर उर्फ मनीष पुत्र सेरन्द्र राजभर निवासी ग्राम खूटा बहोरवा थाना भीमपुरा जनपद बलिया,

3. धनन्जय राजभर पुत्र केशव प्रसाद निवासी हुसेनगंज थाना सिधारी, आजमगढ़

बरामदगी-

1. एक अदद तमन्चा एक अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर

2. दो अदद मोबाइल

3. एक अदद स्कूटी रजि0 UP 50 AL 2765, ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

प्र0नि0 ज्ञानूप्रिया, उ0नि0 तारकेश्वर राय का0 बैजनाथ सरोज, का0 मोनू कुमार, म0का0 स्वप्निल सक्सेना, उ0नि0 शंकर कुमार यादव चौकी प्रभारी गोसाई की बाजार मय का0 संजीव कुमार यादव व ईगल मोबाइल के कर्मचारीगण का0 उदयभान गुप्ता व का0 सौरभ सरोज